

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्व
अपर मुख्य सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रद्यागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 03दिसम्बर, 2020

विषय:-राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक संस्थान द्वारा अपनी Research Policy की घोषणा-शोध के पराम्परागत क्षेत्रों, समकालीन विषयों के चयन के प्रावधान, समाज एवं उद्योग उपयोगी विषयों पर शोध एवं अध्ययन।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रस्तर-17 पर नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउण्डेशन के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त अकादेमिक अनुसंधान को उत्प्रेरित करने पर बल दिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक होगा कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान अपनी Research Policy तैयार करते हुए शोध के पराम्परागत क्षेत्रों के साथ-साथ समकालीन विषयों के चयन के प्रावधान, समाज एवं उद्योग उपयोगी शोध पर समुचित बल दें तथा यथावश्यक प्रशासनिक और विनियामक सुधार की ओर भी ध्यान दे, जो शिक्षकों की ओर संरक्षण तथा व्यायतता और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाला हो।

2- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश प्राप्त हुआ है कि कृपया राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान के लिये शैक्षणिक सुधार एवं अनुसंधान/शोध को प्रोत्साहन देने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें:-

1. अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, समग्र शिक्षा के साथ सभी उच्च शिक्षा संस्थान के बहुआयामी प्रकृति पर जोर दिया जाना चाहिए।
2. स्नातक पाठ्यक्रम में अनुसंधान और इंटर्नशिप का समावेश होना चाहिए।
3. एकीकृत पीएचडी प्रारम्भ करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। शोध में रुचि रखने वाले एवं विश्लेषणात्मक क्षमतायुक्त स्नातकों को उनकी रुचि के विषयों में “रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज़” को इंटीग्रेटड पी0एचडी0 कराने कर अनुमति दी जा सकती है। यह प्रोग्राम दोहरी डिग्री प्रदान करेगा जैसे कि स्नातकोत्तर (पीजी) और पीएचडी। शैक्षणिक लचीलेपन पर आधारित इस शोध प्रोग्राम द्वारा विद्यार्थियों को संरक्षण स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की अपेक्षा एकेडेमिक चयन हेतु अधिक व्यापक क्षेत्र उपलब्ध होगा तथा वे अनुसंधान के विशिष्ट अत्याधुनिक क्षेत्रों में शोध करने हेतु प्रेरित होंगे। इस प्रोग्राम का उद्देश्य गहन प्रशिक्षण प्राप्त, प्रेरित तथा शोध हेतु आवश्यक वैज्ञानिक समझ से युक्त नवयुवकों को प्राथमिक अवस्था में ही वैशिक, समसामयिक, शोध में संलग्न

- करना तथा शोध एवं विकास को कैरियर बनाने के लिये प्रेरित करना है। "इंटीग्रेटेड पी0एच0डी0" प्रोग्राम से बाहर निकलने का विकल्प भी हो सकता है।
4. विश्वविद्यालयों द्वारा अंशकालिक पीएचडी प्रारम्भ करने पर विचार किया जा सकता है। काम करने वाले ऐसे पेशेवर व्यक्तियों हेतु कार्यक्रम का संचालन किया जा सकता है, जो कि अपनी नौकरी के साथ-साथ अनुसंधान को आगे बढ़ाने में रुचि रखते हैं।
 5. उच्च शिक्षा संस्थान को नियमित रूप से विभिन्न क्षेत्रों में प्रख्यात शोधकर्ताओं के व्याख्यान का एवं वेबिनार का आयोजन किया जाना चाहिए।
 6. संकाय सदस्यों और शोध छात्रों को अपने अनुसंधान क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
 7. अनुसंधान सहयोग और फैकल्टी/छात्र विनियम को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के कार्यालय की स्थापना की जा सकती है और विदेशों के साथ प्रासंगिक पारस्परिक रूप से लाभप्रद एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।
 8. राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शोध को समर्थन प्रदान करने और उचित निगरानी के लिए 'विश्वविद्यालय अनुसंधान फाउंडेशन' की स्थापना की जानी चाहिए।
 9. यह फाउंडेशन उन विभागों की पहचान करेगा, जो शिक्षण और अनुसंधान के नए क्षेत्रों में "सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स" स्थापित कर सकते हैं।
 10. संस्थान को नवाचार को बढ़ावा देने के लिए छात्र प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए।
 11. अनुसंधान एवं नवाचार हेतु विश्वविद्यालय को सीएसआर (CSR) का योगदान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
 12. सरकारी निकायों के डाटा विश्लेषण/गुणवत्ता परीक्षण जैसी गतिविधियों में शोध छात्रों को समिलित करवाने हेतु विश्वविद्यालय स्तर से प्रयास होना चाहिए।

(ब) उद्यमिता और नवाचार :

1. HEIs को स्टार्ट-अप, इन्क्यूबेशन सेंटर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करके अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
2. "ग्रास रुट इनोवेशन सेंटर (GRIC)" को सभी उच्च शिक्षा संस्थान में स्थापित करना चाहिए। GRIC का मुख्य उद्देश्य बारहवीं कक्षा के बाद संस्थान में प्रवेश करने वाले छात्रों के विचारों की व्यावहारिकता की पहचान करना है ताकि विद्यार्थीगण GRIC की सहायता से अपने विचारों को मूर्त रूप दे सकें।
3. HEIs में अधिक से अधिक उद्योग-शैक्षणिक संपर्क होने चाहिए और उद्योगों में रिसर्च इंटर्नशिप को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। HEIs और Industry के बीच MOU हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

CSR - corporate Social Responsibility

4. सभी HEIs को छात्रों और संकाय के लिए राष्ट्रीय नवाचार और स्टार्ट-अप नीति, 2019 को लागू करना चाहिए, जिसके मुख्य पहलू निम्नवत् हैं:-

शैक्षणिक हस्तक्षेप द्वारा नवाचार को बढ़ावा

(क) विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम

विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदेश में स्टार्ट अप संस्कृति की सुदृढ़ता हेतु नोडल संस्था के परामर्श से नवाचार और उद्यमिता पाठ्यक्रम आरम्भ किए जायेंगे। इन्हें सहयुक्त विद्यालयों द्वारा भी अंगीकृत किया जायेगा।

(ख) विद्यालय पाठ्यक्रम

भावी स्टार्टअप उद्यमियों के सृजन हेतु छात्रों की औपचारिक शिक्षा के प्रारम्भिक चरण में उद्यमशीलता के प्रति रुझान विकसित करने के लिए विद्यालयों के पाठ्यक्रम में नवाचार और उद्यमिता पर बुनियादी शिक्षा आरम्भ की जायेगी।

(ग) फैकल्टी विकास कार्यक्रम

महाविद्यालय स्तर पर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, फैकल्टी विकास कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे।

(घ) छात्रों हेतु अन्तराल वर्ष

जो छात्र उद्यमिता के क्षेत्र में अग्रसर होना चाहते हैं, उन्हें स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के पश्चात एक वर्ष का अवकाश (अन्तराल वर्ष) लेने की अनुमति दी जायेगी। पाठ्यक्रम की पूर्ति के लिए आवश्यक अधिकतम अवधि में एक वर्ष का अन्तराल की गणना नहीं की जायेगी। पाठ्यक्रम की निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए “अन्तराल वर्ष” सुविधा को पाठ्यक्रम में पुनः समिलित होते समय दिया जा सकता है।

(ङ) छात्र परियोजनायें

किसी स्टार्ट अप अवधारणा पर काम करने वाले छात्र उद्यमी को डिग्री की पूर्णता हेतु अपनी स्टार्ट अप परियोजना को अपने अन्तिम वर्ष की परियोजना के रूप में बदलने की अनुमति दी जायेगी।

(च) विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में ई-प्रकोष्ठ की स्थापना

विद्यालय स्तर के छात्रों को अपना उद्यम प्रारम्भ करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में ई-प्रकोष्ठ की स्थापना किया जाना।

(छ) स्टार्टअप ईको-सिस्टम के एंकर के रूप में इन्क्यूबेटर्स

विभाग द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में इन्क्यूबेटर्स की स्थापना किए जाने की आवश्यकता होगी जो कुल नीतिगत लक्ष्य का कम से कम 50 प्रतिशत हो।

(ज) ब्राण्ड प्रोमोशन तथा प्रतिभाग का समान

नवाचारी प्रौद्योगिकीय समाधनों की पहचान हेतु हैकार्डेन का आयोजन, बूट कैम्पस एवं स्टार्ट-अप-इवेन्ट्स का आयोजन किया जाना।

(झ) उ०प्र० स्टार्टअप ऑनलाइन प्लेटफार्म

आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्टार्टअप, निवेशकों, इन्क्यूबेटर्स, मेन्टर्स तथा अन्य प्रासंगिक रस्टार्टअप हितधारकों के लिए आपसी सम्पर्क हेतु उ०प्र० स्टार्टअप ऑनलाइन प्लेटफार्म बनाया गया है जो सिंगल-विन्डो सिस्टम है। विभाग द्वारा जिन इन्क्यूबेटर्स को चिह्नित अथवा विकसित किया जाएगा उन्हें इस ऑनलाइन पोर्टल से इन्टीग्रेट किया जाना होगा।

भवदीय,

मृगा
३५१

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- ५६०८ (१) / सत्तर-३-२०२०, तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
2. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।

आज्ञा से

अब्दुल समद
विशेष सचिव।